राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 01418/2023

गोपाल कृष्णा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव सह ग्रामीण विकास आयुक्त विभाग एवं पंचायती राज, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य सचिव स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, राजसमंद।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्राथमिक शिक्षा, राजसमंद।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक भीम, राजसमंद।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुशालपुरा, राजसमंद।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.05.2023
आदेश की दिनांक : 12.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.09.1997 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अनुकम्पात्मक नियमों के तहत अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जेलवा, भीम, राजसमंद में हुई, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा 26.09.1997 को कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.12.2019 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को डी.एल.एड. प्रशिक्षण अवधि सत्र 2017–2019 द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की नियुक्ति मृतक आश्रित नियम, 1996

के तहत हुई है। वित विभाग के परिपत्र दिनांक 12.04.2002 द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों को वरिष्ठता एवं कार्यानुभव का लाभ कार्यग्रहण दिनांक से दिया जाएगा। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में दायर अपील संख्या 300/2010 मुकेश कुमार जैन बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.01.2020 का उद्धरण दिया है, जिसके द्वारा कार्यग्रहण दिनांक से वरिष्ठता एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए गए है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.06.2020 के द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत नियुक्त कर्मचारी की नियमित नियुक्ति कार्यग्रहण दिनांक से ही मानी जावेगी।

अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी की सेवाएं कार्यग्रहण दिनांक से नियमित नियुक्ति मानते हुए वरिष्ठ वेतन, श्रृंखला, चयनित वेतनमान का समस्त पारिणामिक परिलाभ प्रदान किया जावे तथा अपीलार्थी से कनिष्ठ को दी गई पदोन्नति की दिनांक से पदोन्नति का लाभ देते हुए समस्त लाभ दिए जाने के निर्देश देवें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order)

प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य